फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

सुशीला देवी बनाम कजोड वगै0

मुकदमा नम्बर :– 81/2025 वाद धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	12.05.2025	प्राथीया मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत निर्णय व डिक्री में संशोधन करवाने अर्न्तगत धारा 152 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया गया है कि मुकदमा नम्बर 15/2022 बउनवानी सुशीला देवी बनाम कजोड वगै0 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2024 को अन्तिम डिक्री पारित की गई है। इसके उपरान्त राज्य सरकार के सर्वे–रिसर्वे से वाद पत्र वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1777, 1778, 1782, 1783, 31, 32, 45, 46, 58/8630, कुल किता 09 का कुल रकबा 4.96 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 87, 88, 104, 105, 109, 110, 111, 127, 228, कुल किता 09 कुल रकबा 4.8292 हैक्टेयर बनातु हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है। अतः सर्वे–रसर्वे के दौराने गत खसरा नम्बर, रकबा से बनाये गये हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को शामिल करते हुए पुनः संशोधित डिक्री एवं निर्णय किया जाना न्यायोचित एवं आवश्क है। बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली को रिकार्ड से तलब किया जाकर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना–पत्र एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के सर्वे–रिसर्वे के दौरान खसरा नम्बरान में संशोधन किया गया है। अतः प्राथीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हाल ही में सर्वे–रिसर्वे के दौरान जारी हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2025 में सर्वे–रिसर्वे से बने हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को शामिल किया जाकर पुनः संशोधित निर्णय एवं संशोधित डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं/जयपुर (ग्रामीण)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–15/2022

उनवान

सुशीला देवी पत्नी पप्पूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा तन खेजरोलीछ तहसील चौमूं, जिला जयपुर

–वादीया–

बनाम

1. कजोड पुत्र लादू
2. दूला पुत्र लादू
3. नागूराम पुत्र रुडा
4. भगवाना पुत्र रुडा
5. महेश पुत्र कानाराम
6. मालीराम पुत्र रुडा
7. रामू पुत्र रुडा
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा तन खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक चौमूं, उपंपजीयक कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल परिवर्तित नाम भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक चौमूं।
12. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा खेजरोली।
13. पीएनबी बैंक खेजरोली जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा खेजरोली।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबततकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
संशोधित निर्णय

दिनांक :–12.05.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

: मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि हाल खाता संख्या 123 के आराजी खसरा नम्बर 1777 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.55 है0, 31 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 58/8630 रकबा 0.09 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 4.96 है0 भूमि वाके ग्राम उंटगढा तन खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

उक्त अन्तिम डिक्री की पालना पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात दिनांक 08.01.2025 व सर्वे रिसर्वे के दौरान बने खसरा नम्बर एवं जारी मिलान क्षेत्रफल आदि के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को मध्यनजर रखते हुए नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

1. सुशीला पत्नि पप्पूराम हिस्सा सम्पूर्ण राहिन हिस्सा सम्पूर्ण ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा खेजरोली सा0देह खातेदार जाति जाट को आराजी खसरा नम्बर 45/1 रकबा 0.9433, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 58/8630 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.6533 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. कजोड पुत्र लादू हिस्सा 1/6 राहिन हिस्सा 1/6 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली सा0देह खातेदार, दूला पुत्र लादू हिस्सा 1/6 राहिन हिस्सा 1/6 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा चौमूं सा0देह खातेदार, नागूराम पुत्र रुडा हिस्सा 1/8 राहिन हिस्सा 1/8 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खेजरोली सा0देह खातेदार, भगवाना पुत्र रुडा हिस्सा 1/8 राहिन हिस्सा 1/8 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली सा0 देह खातेदार, महेश पुत्र कानाराम हिस्सा 1/6 सा0देह खातेदार, रामू पुत्र रुडा हिस्सा 1/8 राहिन हिस्सा 1/8 स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली सा0देह खातेदार समस्त जाति जाट को आराजी खसरा नम्बर 1777 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 45/2 रकबा 0.0267 है0 कुल किता 7 का कुल रकबा 3.3067 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर (ग्रामीण)

दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्र0 / मुख्यालय) चौमू